

न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 1381/2015

संस्थापित दिनांक 28/12/2015

फाइलिंग नं. 230303022392015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-  
गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. भरत गुप्ता पुत्र श्री कृष्ण नारायण गुप्ता उम्र 25 वर्ष  
निवासी पुराना बसस्टेण्ड, गोहद जिला भिण्ड म0प्र0।

..... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा- 25(1-बी)(बी) आयुध अधिनियम)

(राज्य द्वारा एडीपीओ- श्री प्रवीण सिकरवार)

(आरोपी द्वारा अधिवक्ता-श्री गिराज भट्टेले)

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 31.05.2017 को घोषित)

आरोपी पर दिनांक 10.12.15 को 10:30 बजे पुलिस थाना गोहद के सामने गोहद में लोकस्थान पर आयुध अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत जारी म0प्र0 शासन की अधिसूचना क्र0 6312-6552-11-बी (1) दिनांक 22.11.1974 के उल्लंघन में एक निषेधित आकार की लोहे की धारदार छुरी वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखने हेतु आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)(बी) के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 10.12.15 को पुलिस थाना गोहद के प्रधान आरक्षक देवेन्द्रसिंह द्वारा आरोपी भरत गुप्ता के विरुद्ध अमित गुप्ता की मारपीट की रिपोर्ट अदम चैक क्र0 345/15 पर लेखबद्ध की थी। इसी बात पर आरोपी थाने के सामने 12 इंच लंबी छुरी लेकर घूम रहा था जो पुलिस को देखकर भागने लगा था तब उसे पकड़ा गया था। आरोपी के पास छुरी रखने बावत लाइसेंस नहीं था। उसने आरोपी से मौके पर ही छुरी जप्त कर जप्ती की एवं आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की कार्यवाही की थी तत्पश्चात थाना वापिस

आकर आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना गोहद में अप0क0 425 /15 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए थे एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। आरोपी को आरोपित आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक् अंकित किया गया।

इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ हैं :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 10.12.15को 10:30 बजे पुलिस थाना गोहद के सामने गोहद में लोकस्थान पर आयुध अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत जारी म0प्र0शासन की अधिसूचना के उल्लंघन में एक निषेधित आकार की लोहे की धारदार छुरी वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखी?

4. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से साक्षी रामकुमार अ0सा01, जप्तीकर्ता देवेन्द्र सिंह अ0सा02 एवं साक्षी धीरसिंह अ0सा03 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

### निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न कमांक 1

5. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में जप्तीकर्ता का प्रधान आरक्षक देवेन्द्र सिंह अ0सा02 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह दिनांक 10.12.15 को पुलिस थाना गोहद में पदस्थ था उक्त दिनांक को थाने के सामने आरोपी भरत गुप्ता लोहे की छुरी लिए हुए घूम रहा था दिन की बात है उसने आरोपी भरत गुप्ता को पकड़ा था। भरत गुप्ता के पास छुरी रखने बावत् लाइसेंस नहीं था। उसने मौके पर ही आरोपी से छुरी जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी01 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी02 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात उसने थाना वापिस आकर आरोपी के विरुद्ध प्र0पी04 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान उसने साक्षी रामकुमार एवं धीरसिंह के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए थे। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि आर्टिकल ए की छुरी वही छुरी है जो उसने मौके पर आरोपी से जप्त की थी।

6. साक्षी रामकुमार अ0सा01 एवं धीर सिंह अ0सा03 जिसे जप्ती की कार्यवाही का स्वतंत्र साक्षी बताया गया है ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया है। साक्षी धीर सिंह अ0सा03 ने मात्र जप्ती

पंचनामा प्र0पी01 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी02 के क्रमशः सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त दोनों ही साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त दोनों ही साक्षियों ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपी भरत गुप्ता से लोहे की छुरी जप्त की थी एवं आरोपी को गिरफ्तार किया था।

7. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

8. प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रकरण में कथित जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही के स्वतंत्र साक्षी रामकुमार अ0सा01 एवं धीरसिंह अ0सा03 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। आरोपी के विरुद्ध मात्र प्रधान आरक्षक देवेन्द्र सिंह अ0सा02 के कथन शेष है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में आई साक्ष्य का सूक्ष्मता से मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है।

9. प्रस्तुत प्रकरण में जप्तीकर्ता देवेन्द्रसिंह अ0सा02 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन आरोपी भरत गुप्ता थाने के सामने रोड पर छुरी लिए हुए घूम रहा था तब उसने आरोपी पकड़ा था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि उसी दिन आरोपी के विरुद्ध अमित गुप्ता की रिपोर्ट पर अदम चैक क्र0345/15 लेखबद्ध की गई थी। आरोपी हाथ में छुरी लिए हुए घूम रहा था। इस प्रकार जप्तीकर्ता देवेन्द्र सिंह अ0सा02 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि घटना वाले दिन आरोपी हाथ में छुरी लिए हुए घूम रहा था परंतु यह अत्यंत अस्वाभाविक प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति बिना अनुज्ञप्ति के अवैध हथियार हाथ में लेकर थाने के सामने घूमेगा। साक्षी देवेन्द्र सिंह द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया गया है कि वह घटना के समय थाने के सामने गश्त नहीं कर रहा था एवं उसने थाने की बैठक से 20-25 मीटर दूर से आरोपी को हाथ में छुरी लिए हुए देखा था। साक्षी देवेन्द्र सिंह अ0सा02 के कथनानुसार उसने आरोपी भरत को थाने के अंदर से ही छुरी लेकर घूमते हुए देखा था परंतु उक्त संबंध में कोई नक्शामौका नहीं बनाया गया है। अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि घटना के समय जप्तीकर्ता देवेन्द्र सिंह थाने पर किस जगह बैठे थे एवं वह थाने के अंदर जिस जगह बैठे थे वहां से वास्तव में बाहर की रोड दिखाई देती है। उक्त संबंध में कोई साक्ष्य अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है ऐसी स्थिति में देवेन्द्र सिंह अ0सा02 का यह कथन कि उसने थाने के अंदर से ही आरोपी को रोड पर छुरी लेकर घूमते हुए देख लिया था। सत्य प्रतीत नहीं होता है।

10. जप्तीकर्ता देवेन्द्र सिंह अ0सा02 ने अपने कथन में आरोपी से छुरी जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी01 तैयार करना बताया है परंतु प्र0पी01 के जप्ती पंचनामे में आरोपी के हस्ताक्षर नहीं हैं। प्र0पी01 का जप्ती पंचनामा दो अलग-अलग स्याही से लेखबद्ध किया गया है। उक्त संबंध में बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पूछे जाने पर जप्तीकर्ता देवेन्द्र सिंह अ0सा02 द्वारा इस तथ्य से इंकार

किया गया है कि प्र0पी01 के सी से सी भाग में स्याही की भिन्नता है परंतु प्र0पी01 के जप्ती पंचनामे को देखने से ही यह स्पष्ट होता है कि प्र0पी01 के जप्ती पंचनामे का सी से सी भाग अलग स्याही से लेख किया गया है उक्त संबंध में देवेन्द्र सिंह अ0सा02 द्वारा न्यायालय के समक्ष असत्य कथन दिया गया है। यह तथ्य भी संपूर्ण जप्ती की कार्यवाही को ही संदेहास्पद बना देता है।

11. प्रधान आरक्षक देवेन्द्र सिंह अ0सा02 ने अपने कथन में आरोपी से लोहे की छुरी जप्त करना बताया है परंतु उक्त साक्षी द्वारा यह नहीं बताया गया है कि उसके द्वारा जप्ती की कार्यवाही कितने समय की गई थी। उक्त साक्षी द्वारा जप्तशुदा छुरी की पहचान एवं उसके आकार प्रकार के संबंध में भी कोई कथन नहीं किया गया है। उक्त साक्षी द्वारा जप्तशुदा छुरी के मौके पर सीलबंद किए जाने के संबंध में भी कोई कथन नहीं किया गया है। जप्ती पंचानामा प्र0पी01 में भी जप्तशुदा छुरी के मौके पर सीलबंद किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है। जप्ती पंचानामा प्र0पी01 पर आरोपी के हस्ताक्षर भी नहीं है। उपरोक्त सभी तथ्य जप्ती की कार्यवाही को संदेहास्पद बना देते हैं।

12. प्रधान आरक्षक देवेन्द्र सिंह अ0सा02 ने अपने कथन में आरोपी से लोहे की छुरी जप्त करना बताया है परंतु कथित जप्ती की कार्यवाही के स्वतंत्र साक्षी रामकुमार अ0सा01 एवं धीरसिंह अ0सा03 द्वारा देवेन्द्र सिंह अ0सा02 के कथन का समर्थन नहीं किया गया है एवं इस तथ्य से इंकार किया गया है कि उनके सामने आरोपी से लोहे की छुरी जप्त की गई थी। इस प्रकार प्रधान आरक्षक देवेन्द्र सिंह अ0सा02 के कथन का समर्थन साक्षी रामकुमार अ0सा01 एवं धीरसिंह अ0सा03 द्वारा भी नहीं किया गया है। यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

13. उपरोक्त चरणों में की गई समग्र विवेचना से यह दर्शित है कि प्रस्तुत प्रकरण में स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। जप्ती की कार्यवाही भी संदेहास्पद है जप्तशुदा छुरी के मौके पर सीलबंद किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है ऐसी स्थिति में प्रधान आरक्षक देवेन्द्रसिंह की एकल असंपुष्ट साक्ष्य के आधार पर अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

14. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करे यदि अभियोजन आरोपी के विरुद्ध मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपी की दोषमुक्ति उचित है।

15. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 10.12.15 को 10:30 बजे पुलिस थाना गोहद के सामने गोहद में लोकस्थान पर आयुध अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत जारी म0प्र0शासन की अधिसूचना के उल्लंघन में एक निषेधित आकार की लोहे की धारदार छुरी वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखी। फलतः यह न्यायालय आरोपी भरत गुप्ता को संदेह का लाभ देते हुए उसे आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)(बी) के आरोप से दोषमुक्त करती है।

16. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।  
17. प्रकरण में जप्तशुदा लोहे की छुरी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात तोड़ तोड़ कर नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक – 31-05-2017

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित  
कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(प्रतिष्ठा अवस्थी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

(प्रतिष्ठा अवस्थी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)